राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 00385/2023

रतन लाल कुम्हार

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन–सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी, जयपुर।
4. रिषिका मीणा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगाती कलां, मौजमाबाद दूदू, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023
आदेश की दिनांक : 25.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिहं तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगाती कलां, मौजमाबाद, दूदू जयपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी का कथन है अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदस्थापित किया गया है तथा अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में 1 साल 5 महीने शेष है एवं अपीलार्थी की माताजी 90 वर्ष की है जो काफी वृद्ध है तथा बीमार रहती है अपीलार्थी के स्थानान्तरण के कारण उनकी देखभाल नहीं कर सकते है।

अतः इससे स्पष्ट होता है अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित (accommodate) करने के उद्देश्य से किया गया है। उनका स्थानान्तरण असक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी, जयपुर में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी, जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

5 अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such ha rdship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

6 जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552)** में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

7 जहां तक अपीलार्थी के सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम समय शेष रहने के बावजूद स्थानान्तरण किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले के अंदर ही किया गया है, जिससे आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रकट नहीं होता है।

8 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य